उत्तर प्रदेश शासन
समाज कल्याण अनुभाग-3
संख्या-०३/2026/3501/26-3-2025-1574316
लखनऊः दिनांक ०१ जनवरी, 2026

कार्यालय ज्ञाप

कृपया निदेशक, समाज कल्याण के पत्र संख्या-3358/स0क0/शिक्षा-अ/154-2/2025-26 दिनांक 24.12.2025 एवं संख्या-3359/स0क0/शिक्षा-अ/2025-26 दिनांक 24.12.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली-2023 के नियम-5 (xiv) के नोट-2 में एवं उ0प्र0 सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली-2023 के नियम-5 (xii) के नोट-3 में संशोधन का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली-2023 के नियम-5 (xiv) के नोट-2 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

क्र0	वर्तमान नियम	संशोधित नियम
1	2	3
1	किसी विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थान में प्रबन्धकीय कोटा सीट, स्पाट (Spot) प्रवेश सीट के सापेक्ष प्रवेशित छात्र / छात्राओं द्वारा दावा किये गये शैक्षणिक भत्ता / शुल्क की प्रतिपूर्ति अनुमन्य नहीं होगी। शिक्षण संस्थानों / पाठ्यक्रमों में एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा निर्धारित प्रबन्धकीय कोटा (मैनेजमेन्ट कोटा) के साथ-साथ जिन निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में व्यवसायिक / तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु राष्ट्रीय / राज्य स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है, ऐसी प्रवेश परीक्षा में आवेदन करने वाले छात्रों को शैक्षणिक भत्ता व शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी। प्रवेश परीक्षा में आवेदन न करने वाले छात्र / छात्रायें मैनेजमेन्ट कोटा से आच्छादित होंगे, ऐसे छात्रों को शैक्षणिक भत्ता / शुल्क की प्रतिपूर्ति अनुमन्य नहीं होगी।	1. निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में व्यवसायिक, तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय प्रवेश परीक्षा से इतर प्रवेश पाने वाले संस्थानों के छात्रों को यदि एफीलिएटिंग एजेसी द्वारा प्रवेश प्रक्रिया में कोई मनमानी नहीं है तथा पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेश दिया गया हो, जिसमें विज्ञापनों के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करना, रैंक तैयार करना, योग्यता सूची के आधार पर उम्मीदवार का चयन, चयन सूची प्रकाशन किया गया हो। 2. पाठ्यक्रमों के लिये शुल्क सक्षम प्राधिकारी द्वारा गठित शुल्क निर्धारण / शुल्क युक्तिकरण समिति द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया हो।

इसी प्रकार उ0प्र0 सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली-2023 के नियम-5 (xii) के नोट-3 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

क्र0	वर्तमान नियम	संशोधित नियम
1	2	3
1	शिक्षण संस्थानों / पाठ्यक्रमों में एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा निर्धारित मैनेजमेन्ट कोटा के अतिरिक्त जिन निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में व्यवसायिक / तकनीकी पाठ्यक्रमों में राष्ट्रीय / राज्य स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा में आवेदित छात्रों से इतर बिना काउन्सिलिंग के सीधे शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रवेश दिये गये छात्र मैनेजमेन्ट कोटा से आच्छादित होंगे।	शिक्षण संस्थान जो निम्नवत मानदण्डों का पालन करते है। छात्रवृत्ति के पात्र होंगे- 1. निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में व्यवसायिक, तकनीकी पाठ्क्रमों में प्रवेश हेतु राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय प्रवेश परीक्षा से इतर प्रवेश पाने वाले संस्थानों के छात्रों को यदि एफीलिएटिंग एजेसी द्वारा प्रवेश प्रक्रिया में कोई मनमानी नहीं है तथा पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेश दिया गया हो, जिसमें विज्ञापनों के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करना, रैंक तैयार करना, योग्यता सूची के आधार पर उम्मीदवार का चयन, चयन सूची प्रकाशन किया गया हो। 2. पाठ्यक्रमों के लिये शुल्क सक्षम प्राधिकारी द्वारा गठित शुल्क निर्धारण/शुल्क युक्तिकरण समिति द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया हो।

3- इस सम्बन्ध में उपरोक्त तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोंपरान्त उ0प्र0 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली-2023 के नियम-5 (xiv) के नोट-2 में एवं उ0प्र0 सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली-2023 के नियम-5 (xii) के नोट-3 में उपरोक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित तालिकाओं के कॉलम-3 के अनुसार संशोधन किये जाने पर इस शर्त के साथ अनुमति प्रदान की जाती है कि Management Quota एवं इस प्रकार के Non Transparent तरीके से किए गए अन्य दाखिले वाले छात्र - छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ देय नहीं होगा ।

कृपया तद्नुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

Digitally signed by RAJENDRA SINGH
Date: 09-01-2026 15:12:04
(राजेन्द्र सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
2- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री (स्व 0प्र0) समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ /वित्त/नियोजन/न्याय/उच्च शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/व्यावसायिक शिक्षा/ चिकित्सा शिक्षा/कृषि शिक्षा/बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
6- राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0,उ0प्र0 लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि इसकी प्रतियां समस्त जिलाधिकारी एवं मण्डलायुक्त को ई-मेल के माध्यम से भेजे तथा समाज कल्याण विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करें।
7- निदेशक, समाज कल्याण/जनजाति विकास विभाग, लखनऊ उ0प्र0।
8- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- समस्त मण्डलीय संयुक्त /उप निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0।
10- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
11- वित्त (व्ययय नियंत्रण) अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाईल।

(राजेन्द्र सिंह)
विशेष सचिव।